सत्यमेव जयते

भारत सरकार

वित्त वर्ष 2025-26 के अंत में बजट संबंधी प्राप्तियों और व्यय की प्रवृति की छमाही समीक्षा का विवरण

और

राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2003 के तहत सरकार की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विचलन संबंधी व्याख्या का विवरण

(जैसा कि राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2003 की धारा 7(1) और धारा 7(3)(ख) के तहत अपेक्षित है)

वित्त मंत्रालय

विषय

	पृष्ठ
वृहद आर्थिक पृष्ठभूमि	1
प्राप्तियों और व्यय की प्रवृति की समीक्षा	2
प्रमुख राजकोषीय संकेतक	3
प्राप्तियाँ	4
व्यय	7
घाटा	10
राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम (एफआरबीएम), 2003 की धारा 7(3)(ख) के अनुसार तैयार विचलन संबंधी विवरण	11

1. वृहद आर्थिक पृष्ठभूमि

भारत की आर्थिक वृद्धि, जो सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की स्थिर (वर्ष 2022-23) कीमतों में वृद्धि से मापी जाती है, का अनुमान वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी छमाही (अक्तूबर-मार्च) के लिए 7.9 प्रतिशत लगाया गया है, जबकि यह वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) में 7.6 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी छमाही में 7.2 प्रतिशत रही थी। वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी छमाही के लिए स्थिर बुनियादी कीमतों पर सकल मूल्य संवर्धन में 7.9 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, जबकि यह वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में 7.8 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी छमाही में 7.5 प्रतिशत थी।

वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी छमाही के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) (संयुक्त) आधारित मुद्रास्फीति 1.8 प्रतिशत रही, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में यह 4.7 प्रतिशत थी। वहीं, वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी छमाही के दौरान थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) आधारित मुद्रास्फीति 1.0 प्रतिशत रही, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में यह 1.8 प्रतिशत थी।

वर्तमान मूल्यों पर व्यापारिक निर्यात वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी छमाही में 222.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर रहा, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 224.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 0.8 प्रतिशत की मामूली गिरावट को दर्शाता है। वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी छमाही में व्यापारिक आयात 10.0 प्रतिशत बढ़कर 398.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी छमाही में यह 362.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। वित्तीय वर्ष 2025-26 की दूसरी छमाही में व्यापारिक घाटा 176.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर रहा, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में यह 138.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

भारत का चालू खाता घाटा वित्त वर्ष 2025-26 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) (25.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर) के 0.6 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहा, जबकि पिछले वर्ष यह सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) (22.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर) के 0.6 प्रतिशत पर था।

वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी छमाही के दौरान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़कर 15.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 13.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी छमाही में निवल विदेशी पोर्टफोलियो बहिर्वाह घटकर 13.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी छमाही में 17.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी छमाही में निवल विदेशी संस्थागत निवेश बहिर्वाह 17.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी छमाही में 13.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का बहिर्वाह हुआ था।

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मार्च 2026 के अंत में 691.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि मार्च 2025 के अंत में यह 668.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी छमाही के दौरान औसत विनिमय दर ₹90.3 प्रति अमेरिकी डॉलर थी, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह ₹85.6 प्रति अमेरिकी डॉलर थी।

2. वित्त वर्ष 2025-26 में प्राप्तियों और व्यय की प्रवृति की समीक्षा

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटा (एफडी) जीडीपी का 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था, जो ₹15.69 लाख करोड़ था। बजट अनुमान 2025-26 में, सकल कर राजस्व (जीटीआर) का अनुमान ₹42.70 लाख करोड़ था, जो वित्त वर्ष 2024-25 (₹37.96 लाख करोड़) के जीटीआर से 12.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वित्त वर्ष 2024-25 में 46.53 लाख करोड़ रुपये के वास्तविक व्यय की तुलना में कुल व्यय ₹50.65 लाख करोड़ (बजट अनुमान 2025-26) होने का अनुमान लगाया गया था, जो पिछले वर्ष की वास्तविक तुलना में 8.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

बजट अनुमान (बीई) और संशोधित अनुमान (आरई) 2025-26 के अनुसार राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी के 4.4 प्रतिशत पर रखा गया था। राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2003 में यह निर्धारित किया गया है कि केंद्र सरकार 31 मार्च, 2021 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3 प्रतिशत तक सीमित कर देगी। इस संबंध में, राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम 2003 की धारा 4 (5) के प्रावधानों के अनुसार, विचलन के कारणों और वार्षिक निर्धारित लक्ष्यों पर वापसी के मार्ग को समझाते हुए विचलन का एक विवरण, मध्यम अवधि की राजवित्तीय नीति सह राजवित्तीय नीति कार्यनीति विवरण (एमटीएफपी कम एफपीएस) में शामिल किया गया था, जिसे केंद्रीय बजट 2026-27 के साथ संसद में प्रस्तुत किया गया था।

संशोधित अनुमान (आरई) 2025-26 में, जीटीआर को संशोधित कर ₹40.78 लाख करोड़ कर दिया गया था, जो जीडीपी का 11.4 प्रतिशत था, जबकि गैर-कर राजस्व (एनटीआर) का अनुमान ₹6.68 लाख करोड़ (जीडीपी का 1.9 प्रतिशत) था। कुल राजस्व प्राप्तियां, जिसमें कर राजस्व (केंद्र को निवल) और एनटीआर शामिल हैं, को संशोधित करके ₹33.42 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया था। संशोधित अनुमान 2025-26 में कुल व्यय को संशोधित कर ₹49.65 करोड़ कर दिया गया था।

वित्त वर्ष 2025-26 के अंत में कुल राजस्व प्राप्तियां (अनंतिम) ₹33.02 लाख करोड़ थीं, जो संशोधित अनुमान का 98.8 प्रतिशत थी। वित्त वर्ष 2025-26 के अंत में कर राजस्व (केंद्र को निवल) ₹26.23 लाख करोड़ था, जबकि गैर-कर राजस्व ₹6.79 लाख करोड़ था, जो प्रतिशत के संदर्भ में संशोधित अनुमान 2025-26 का क्रमशः 98.1 प्रतिशत और 101.7 प्रतिशत था। वित्त वर्ष 2025-26 के अंत में कुल व्यय ₹49.05 लाख करोड़ था, जबकि वर्ष के लिए संशोधित अनुमान ₹49.65 लाख करोड़ था, जो संशोधित अनुमान का 98.8 प्रतिशत था।

अनंतिम वास्तविक के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटा ₹15.19 लाख करोड़ था, जो सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4.4 प्रतिशत के संशोधित अनुमान 2025-26 के लक्ष्य के अनुरूप था।

तालिका 1: प्रमुख राजकोषीय संकेतक, वित्त वर्ष 2025-26

क्र.सं.	विवरण	ब.अ. 2025-26	स.अ. 2025-26	अनंतिम 2025-26	वास्तविक 2024-25	2025-26 अनंतिम ब.अ. % के रूप में	2025-26 अनंतिम स.अ. %के रूप में	2024-25 की तुलना में वित्त वर्ष 2025-26 (अनंतिम) में % वृद्धि
		(₹ करोड़ में)						
		क	ख	ग	घ	ङ	च	छ
1.	**राजस्व प्राप्तियां (2+3)**	**3420409**	**3342323**	**3302225**	**3036619**	**96.54%**	**98.80%**	**8.7%**
2.	कर राजस्व (निवल)	2837409	2674661	2623264	2500039	92.45%	98.08%	4.9%
3.	गैर-कर राजस्व	583000	667662	678961	536580	116.46%	101.69%	26.5%
4.	**पूंजीगत प्राप्तियां (5+8)**	**1644936**	**1622519**	**1602926**	**1616249**	**97.45%**	**98.79%**	**-0.8%**
5.	**गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां (6+7)**	**76000**	**64027**	**83757**	**41818**	**110.21%**	**130.82%**	**100.3%**
6.	ऋणों की वसूली	29000	30190	24617	24616	84.89%	81.54%	0.0%
7.	अन्य रसीदें	47000	33837	59140	17202	125.83%	174.78%	243.8%
8.	उधार और अन्य देनदारियां	1568936	1558492	1519169	1574431	96.83%	97.48%	-3.5%
9.	**कुल प्राप्तियां (1+4)**	**5065345**	**4964842**	**4905151**	**4652867**	**96.84%**	**98.80%**	**5.4%**
10.	राजस्व व्यय	3944255	3869087	3836032	3600914	97.26%	99.15%	6.5%
10(i).	-जिसका ब्याज भुगतान	1276338	1274338	1242575	1115575	97.35%	97.51%	11.4%
10(ii).	-जिनमें से पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	427192	308151	264287	272656	61.87%	85.77%	-3.1%
11.	पूंजीगत व्यय	1121090	1095755	1069119	1051953	95.36%	97.57%	1.6%
12.	**कुल व्यय (10+11)**	**5065345**	**4964842**	**4905151**	**4652867**	**96.84%**	**98.80%**	**5.4%**
13.	**राजस्व घाटा (10-1)**	**523846**	**526764**	**533807**	**564296**	**101.90%**	**101.34%**	**-5.4%**
14.	**प्रभावी राजस्व घाटा {(13-10(ii)}**	**96654**	**218613**	**269520**	**291640**	**278.85%**	**123.29%**	**-7.6%**
15.	**राजकोषीय घाटा {12-(1+5)}**	**1568936**	**1558492**	**1519169**	**1574431**	**96.83%**	**97.48%**	**-3.5%**
16.	**प्राथमिक घाटा {(15-10(i)}**	**292598**	**284154**	**276594**	**458856**	**94.53%**	**97.34%**	**-39.7%**

स्रोत: लेखा महानियंत्रक और केंद्रीय बजट।

टिप्पणियाँ: 1. आंकड़े केंद्रीय बजट के अनुसार निवल आधार पर हैं;

2. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए वास्तविक लेखापरीक्षित नहीं हैं और परिवर्तन के अधीन हैं; तथा

3. तालिका में अलग-अलग मदें पूर्णांक के कारण कुल योग तक नहीं हो सकते हैं।

2.1 प्राप्तियाँ

2.1.1 सकल कर राजस्व

बजट अनुमान 2025-26 में, अनुमानित जीटीआर ₹42.70 लाख करोड़ था। संशोधित अनुमान 2025-26 में इसे संशोधित कर ₹40.78 लाख करोड़ कर दिया गया था। वित्त वर्ष 2025-26 (अनंतिम) के लिए जीटीआर ₹40.24 लाख करोड़ था, जो स.अ.का 98.7 प्रतिशत है। कुल मिलाकर, जीटीआर ने वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में साल-दर-साल 6.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान(सीओपीपीवाई) वृद्धि दर 9.5 प्रतिशत थी।

2.1.2 राजस्व प्राप्तियां

केंद्र की राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व (केंद्र को निवल) और गैर-कर राजस्व शामिल हैं। बजट अनुमान **2025-26** में कुल राजस्व प्राप्तियां ₹34.20 लाख करोड़ रहने का अनुमान लगाया गया था। इसे संशोधित कर ₹33.42 लाख करोड़ कर दिया गया था, जिसमें कर राजस्व (केंद्र को निवल) से ₹26.75 लाख करोड़ और संशोधित अनुमान चरण में गैर-कर राजस्व से ₹6.68 लाख करोड़ शामिल थे।

वित्त वर्ष 2025-26 (अनंतिम) के लिए राजस्व प्राप्तियां ₹33.02 लाख करोड़ थीं, जिसमें ₹26.23 लाख करोड़ का कर राजस्व (केंद्र को निवल) और ₹6.79 लाख करोड़ का गैर-कर राजस्व शामिल था। राजस्व प्राप्तियां संशोधित अनुमान का 98.8 प्रतिशत रही और वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में 8.7 प्रतिशत की वृद्धि दर दिखाती है, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह 11.3 प्रतिशत थी।

2.1.3 प्रत्यक्ष कर

प्रत्यक्ष कर प्राप्तियों के मुख्य घटक निगम कर और आय कर हैं। बजट अनुमान 2025-26 में प्रत्यक्ष करों के ₹25.20 लाख करोड़ होने का अनुमान लगाया गया था, जिसे संशोधित अनुमान 2025-26 में संशोधित कर ₹24.21 लाख करोड़ कर दिया गया था। वित्त वर्ष 2025-26 (अनंतिम) के लिए प्रत्यक्ष कर प्राप्तियां ₹23.40 लाख करोड़ थीं जो संशोधित अनुमान का 96.7 प्रतिशत है। यह वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में 5.3 प्रतिशत की वृद्धि है, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह 13.6 प्रतिशत थी।

2.1.3.1 निगम कर

बजट अनुमान 2025-26 में निगम कर प्राप्तियां ₹10.82 लाख करोड़ अनुमानित थीं। संशोधित अनुमान 2025-26 में इसे संशोधित कर ₹11.09 लाख करोड़ कर दिया गया था। अनंतिम वास्तविक के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए निगम कर संग्रह ₹10.99 लाख करोड़ था जो संशोधित अनुमान का 99.1 प्रतिशत है। यह वित्त वर्ष 2024-25 (₹9.87 लाख करोड़) की तुलना में 11.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह 8.3 प्रतिशत था।

2.1.3.2 आय पर कर

आय कर प्रत्यक्ष करों का अन्य प्रमुख उप-घटक है। इसमें निगम कर, प्रतिभूति लेनदेन कर और अन्य प्राप्तियों के अलावा अन्य आय कर शामिल हैं। बजट अनुमान 2025-26 में, आय कर ₹14.38 लाख करोड़ (निगम कर के अलावा अन्य आय करों से ₹13.57 लाख करोड़, प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) से ₹78,000 करोड़ और अन्य प्राप्तियों से ₹3,000 करोड़) होने का अनुमान लगाया गया था। इसे संशोधित अनुमान 2025-26 में संशोधित कर ₹13.12 लाख करोड़ कर दिया गया (निगम कर के अलावा अन्य आय करों से ₹12.48 लाख करोड़, एसटीटी से ₹63,670 करोड़ और अन्य प्राप्तियों से ₹330 करोड़)।

वित्त वर्ष 2025-26 के अनंतिम के अनुसार, इस मद के तहत प्राप्तियां ₹12.41 लाख करोड़ थीं, जो संशोधित अनुमान का 94.6 प्रतिशत है। इसमें निगम कर के अलावा अन्य आय करों से ₹11.83 लाख करोड़, एसटीटी से ₹57,522 करोड़ और अन्य प्राप्तियों से ₹10 करोड़ शामिल हैं। इस मद के तहत सरकार की प्राप्तियों में वित्त वर्ष 2024-25 (₹12.35 लाख करोड़) की वास्तविक प्राप्तियों की तुलना में 0.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह 18.2 प्रतिशत थी।

2.1.4 अप्रत्यक्ष कर

अप्रत्यक्ष कर में माल और सेवा कर **(**जीएसटी**),** सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर शामिल हैं। बजट अनुमान 2025-26 में, इन प्राप्तियों का अनुमान ₹17.40 लाख करोड़ और संशोधित अनुमान 2025-26 में संशोधित कर ₹16.46 लाख करोड़ कर दिया गया था। इसके मुकाबले, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अनंतिम वास्तविक प्राप्तियां ₹16.77 लाख करोड़ थीं, जो संशोधित अनुमान का 101.9 प्रतिशत है। इसने वित्त वर्ष 2024-25 (₹15.66 लाख करोड़) के लिए वास्तविक की तुलना में 7.1 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह 4.3 प्रतिशत थी।

2.1.4.1 माल और सेवा कर

केंद्र सरकार के लिए वस्तु एवं सेवा कर **(**जीएसटी**)** में केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी), एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी), केंद्र शासित प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर (यूटीजीएसटी) और जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर शामिल हैं। बजट अनुमान 2025-26 में, सभी चार घटकों से जीएसटी संग्रह का बजट ₹11.83 लाख करोड़ था, जिसे संशोधित अनुमान 2025-26 में संशोधित कर ₹10.51 लाख करोड़ कर दिया गया था। वित्त वर्ष 2025-26 (अनंतिम) में जीएसटी के तहत कुल संग्रह ₹10.72 लाख करोड़ था जो संशोधित अनुमान का 102 प्रतिशत है। वित्त वर्ष 2025-26 में, जीएसटी संग्रह ने वित्त वर्ष 2024-25 (₹10.32 लाख करोड़) की तुलना में 3.9 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई है, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह 7.2 प्रतिशत थी।

2.1.4.2 सीमा शुल्क

बजट अनुमान 2025-26 में, सीमा शुल्क से अनुमानित कर प्राप्तियां ₹2.40 लाख करोड़ थीं। संशोधित अनुमान 2025-26 में इसे संशोधित कर ₹2.58 लाख करोड़ कर दिया गया था। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सीमा शुल्क संग्रह के लिए अनंतिम वास्तविक ₹2.64 लाख करोड़ रहा, जो संशोधित अनुमान का 102.4 प्रतिशत है। यह वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में साल-दर-साल 13.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह 0.04 प्रतिशत था।

2.1.4.3 केंद्रीय उत्पाद शुल्क

2025-26 के बजट अनुमान में केंद्रीय उत्पाद शुल्क से ₹3.17 लाख करोड़ की कर प्राप्तियां होने का अनुमान है। संशोधित अनुमान 2025-26 में इसे संशोधित कर ₹3.37 लाख करोड़ कर दिया गया था। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अनंतिम वास्तविक अनुमान संशोधित अनुमान के 101.6 प्रतिशत पर ₹3.42 लाख करोड़ रहा। यह वित्त वर्ष 2024-25 (₹3.00 लाख करोड़) की तुलना में 13.9 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि को दर्शाता है, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान इसमे 1.7 प्रतिशत की कमी हुई थी।

2.1.5 अन्य कर और शुल्क

इन प्रमुख करों के अलावा, केंद्र के सकल कर राजस्व में अन्य करों और वस्तुओं और सेवाओं पर शुल्क और संघ राज्य क्षेत्र (यूटीजीएसटी को छोड़कर) से करों से राजस्व भी शामिल है, जो जीटीआर का लगभग 0.2 प्रतिशत है। बजट अनुमान 2025-26 में, इन करों से राजस्व ₹9,778 करोड़ अनुमानित किया गया था, जिसे संशोधित अनुमान चरण में संशोधित कर ₹10,433 करोड़ कर दिया गया था। एक वर्ष में इन करों और शुल्कों से अनंतिम वास्तविक ₹7,330 करोड़ है, जो संशोधित अनुमान का 70.3 प्रतिशत है। वित्त वर्ष 2024-25 की वास्तविक प्राप्तियों की तुलना में, कर संग्रहण में पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 5.8 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 14.5 प्रतिशत की कमी हुई है।

2.1.6 गैर-कर राजस्व

केंद्र के गैर-कर राजस्व में मुख्य रूप से ब्याज प्राप्तियां, भारतीय रिजर्व बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से लाभांश और लाभ, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से लाभांश, मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से प्राप्त प्राप्तियां जैसे लाभ पेट्रोलियम, सड़कों और राजमार्गों आदि से प्राप्तियां शामिल हैं।

बजट अनुमान 2025-26 में, गैर-कर राजस्व से अनुमानित प्राप्तियां ₹5.83 लाख करोड़ का आकलन किया गया, जिन्हें संशोधित अनुमान 2025-26 में संशोधित कर ₹6.68 लाख करोड़ कर दिया गया था। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अनंतिम वास्तविक ₹6.79 लाख करोड़ रहा, जो संशोधित अनुमान का 101.7 प्रतिशत है। यह वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में 26.5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान में यह 33.5 प्रतिशत था।

2.1.7 गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां (एनडीसीआर)

गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों (एनडीसीआर) के मुख्य घटक विविध पूंजी प्राप्तियां और ऋण व अग्रिमों की वसूली हैं। बजट अनुमान 2025-26 में, एनडीसीआर के तहत अनुमानित प्राप्तियां ₹76,000 करोड़ आंकी गई थीं, जिसमें विविध पूंजीगत प्राप्तियों से ₹47,000 करोड़ और ऋणों और अग्रिमों की वसूली से ₹29,000 करोड़ शामिल थे। संशोधित अनुमान 2025-26 में इसे संशोधित कर ₹64,027 करोड़ कर दिया गया था। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अनंतिम वास्तविक ₹83,757 करोड़ (विविध पूंजीगत प्राप्तियों से प्राप्त ₹59,140 करोड़ और ऋण और अग्रिमों की वसूली से ₹24,617 करोड़ प्राप्त) रहा, जो संशोधित अनुमान का 130.8 प्रतिशत है। यह वित्त वर्ष 2024-25 (₹41,818 करोड़) की तुलना में 100.3 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि है, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान में 30.0 प्रतिशत की कमी हुई थी।

2.2 व्यय

बजट अनुमान 2025-26 में, केंद्र सरकार का कुल व्यय ₹50.65 लाख करोड़ था, जिसे संशोधित अनुमान 2025-26 में संशोधित रूप से संशोधित करके ₹49.65 लाख करोड़ कर दिया गया था। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अनंतिम वास्तविक ₹49.05 लाख करोड़ रहा, जो वित्त वर्ष 2024-25 (₹46.53 लाख करोड़) की तुलना में 5.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करता है, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह 4.7 प्रतिशत था। संशोधित अनुमान के प्रतिशत के रूप में कुल व्यय के लिए अनंतिम वास्तविक 98.8 प्रतिशत रहा।

2.2.1 राजस्व व्यय

बजट अनुमान 2025-26 में केंद्र सरकार का राजस्व व्यय ₹39.44 लाख करोड़ आंका गया था। संशोधित अनुमान 2025-26 में इसे संशोधित कर ₹38.69 लाख करोड़ कर दिया गया था। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अनंतिम वास्तविक ₹38.36 लाख करोड़ रहा, जो संशोधित अनुमान का 99.1 प्रतिशत था। वित्त वर्ष 2025-26 में कुल व्यय में राजस्व व्यय का 78.2 प्रतिशत रहा, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में यह 77.4 प्रतिशत था। वित्त वर्ष 2025-26 में, राजस्व व्यय ने वित्त वर्ष 2024-25 (₹36.01 लाख करोड़) की वास्तविक तुलना में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जबकि सीओपीपीवाई में यह 3.1 प्रतिशत थी। इस राजस्व व्यय में से ₹2.64 लाख करोड़ पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान सहायता के मद में हैं।

2.2.1.1 पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए सहायता अनुदान

पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए सहायता अनुदान को पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और स्वायत्त निकायों को प्रदान किए जाने वाले अनुदान के रूप में परिभाषित किया गया है।

बजट अनुमान 2025-26 में, पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान सहायता का प्रावधान ₹4.27 लाख करोड़ था, जिसे संशोधित अनुमान 2025-26 में संशोधित कर ₹3.08 लाख करोड़ कर दिया गया था। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अनंतिम वास्तविक ₹2.64 लाख करोड़ रहा, जो संशोधित

अनुमान का 85.8 प्रतिशत है। यह वित्त वर्ष 2024-25 (₹2.73 लाख करोड़) की तुलना में 3.1 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है, जबकि सीओपीपीवाई में 10.3 प्रतिशत की गिरावट आई है।

2.2.1.2 राजस्व व्यय की प्रमुख मदें

राजस्व व्यय की प्रमुख मदों में ब्याज भुगतान, रक्षा सेवाएं, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान, प्रमुख सब्सिडी और पेंशन शामिल हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में, ब्याज भुगतान, रक्षा सेवाओं, पेंशन, प्रमुख सब्सिडी और राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान पर ₹27.90 लाख करोड़ व्यय किए गए थे (तालिका-2)। यह वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में ₹1.33 लाख करोड़ अधिक था।

तालिका 2: राजस्व व्यय की प्रमुख मदें (₹ करोड़ में)

मद	2024-25	2025-26 संशोधित अनुमान	2025-26 (अनंतिम)	सं.अ.के अनुसार अनंतिम
ब्याज भुगतान	11,15,575	12,74,338	12,42,575	97.5%
रक्षा सेवाएं	2,90,965	3,49,770	3,49,018	99.8%
राज्यों और संघ-राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान	5,88,638	4,93,837	4,63,505	93.9%
प्रमुख सब्सिडी	3,85,029	4,29,734	4,53,854	105.6%
पेंशन	2,73,772	2,86,641	2,80,968	98.0%
कुल	**26,56,986**	**28,34,320**	**27,89,920**	**98.4%**
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में	**74%**	**73%**	**73%**	

स्रोत: केंद्रीय बजट और लेखा महानियंत्रक

2.2.1.2.1 ब्याज भुगतान

ब्याज भुगतान केंद्र सरकार द्वारा अपने ऋण दायित्वों को पूरा करने के लिए किए गए व्यय का प्रतिनिधित्व करता है। बजट अनुमान 2025-26 में, ब्याज भुगतान ₹12.76 लाख करोड़ होने का अनुमान लगाया गया था, जिसे संशोधित अनुमान 2025-26 में संशोधित कर ₹12.74 लाख करोड़ कर दिया गया था। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अनंतिम वास्तविक ₹12.43 लाख करोड़ रहा, जो वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में 11.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है, जबकि सीओपीपीवाई में 4.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

2.2.1.2.2 रक्षा सेवाएं

बजट अनुमान 2025-26 में रक्षा सेवाओं (राजस्व) पर खर्च ₹3.12 लाख करोड़ रहने का अनुमान लगाया गया है। संशोधित अनुमान 2025-26 में इसे संशोधित कर ₹3.50 लाख करोड़ कर दिया गया था। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अनंतिम वास्तविक ₹3.49 लाख करोड़ रहा, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में यह ₹2.91 लाख करोड़ था, जिससे सीओपीपीवाई में 0.2 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में 20.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

2.2.1.2.3 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान

बजट अनुमान 2025-26 में, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान ₹7.20 लाख करोड़ होने का अनुमान था, जिसे संशोधित अनुमान 2025-26 में संशोधित करके ₹4.94 लाख करोड़ कर दिया गया था। वित्त वर्ष 2024-25 में ₹5.89 लाख करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2025-

26 के लिए अनंतिम वास्तविक ₹4.64 लाख करोड़ रहा, जिसमें 21.3 प्रतिशत की कमी आई, जो सीओपीपीवाई की तुलना में वित्त वर्ष 2024-25 में हुई 3.5 प्रतिशत की कमी को दर्शाता है।

2.2.1.2.4 प्रमुख सब्सिडी

प्रमुख सब्सिडी खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम पर प्रदान की जाने वाली सब्सिडी है, जो केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली कुल सब्सिडी का 95 प्रतिशत से अधिक है। बजट अनुमान 2025-26 में प्रमुख सब्सिडी पर व्यय ₹3.83 लाख करोड़ रहने का अनुमान लगाया गया था। संशोधित अनुमान 2025-26 में इसे संशोधित कर ₹4.30 लाख करोड़ कर दिया गया था। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अनंतिम वास्तविक ₹4.54 लाख करोड़ रहा, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में यह आंकड़ा ₹3.85 लाख करोड़ था। प्रमुख सब्सिडी पर व्यय में वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में 17.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि सीओपीपीवाई में 6.6 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

2.2.1.2.5 पेंशन

बजट अनुमान 2025-26 में पेंशन पर व्यय ₹2.77 लाख करोड़ होने का अनुमान लगाया गया था। संशोधित अनुमान 2025-26 में इसे संशोधित कर ₹2.87 लाख करोड़ कर दिया गया था। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अनंतिम वास्तविक ₹2.81 लाख करोड़ रहा, जो वित्त वर्ष 2024-25 में ₹2.74 लाख करोड़ था। इस प्रकार, इस मद पर व्यय में वित्त वर्ष 2024-25 वास्तविक की तुलना में 2.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि कॉपी में यह 14.9 प्रतिशत थी।

2.2.2 पूंजीगत व्यय

बजट अनुमान 2025-26 में, केंद्र सरकार का अनुमानित पूंजीगत व्यय ₹11.21 लाख करोड़ था। वित्त वर्ष 2025-26 में पूंजीगत व्यय ₹10.69 लाख करोड़ था, जो संशोधित अनुमानों (₹10.96 लाख करोड़) का 97.6 प्रतिशत है। यह सीओपीपीवाई में 10.8 प्रतिशत की तुलना में, वित्त वर्ष 2024-25 के वास्तविक (₹10.52 लाख करोड़) की तुलना में 1.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

2.2.3 प्रभावी पूंजीगत व्यय

केंद्र सरकार के प्रभावी पूंजीगत व्यय में भारत सरकार का पूंजीगत व्यय और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए सहायता अनुदान शामिल है। साथ में, वे ऐसे व्यय को सम्मिलित करते हैं जो अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता को बढ़ाते हैं और उसे उन्नत करते हैं।

बजट अनुमान 2025-26 में, केंद्र सरकार का प्रभावी पूंजीगत व्यय ₹15.48 लाख करोड़ होने का अनुमान लगाया गया था। इसे संशोधित अनुमान 2025-26 में संशोधित कर ₹14.04 लाख करोड़ कर दिया गया था। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अनंतिम वास्तविक ₹13.33 लाख करोड़ था, (संशोधित अनुमान का 95.0 प्रतिशत) जो सीओपीपीवाई में 5.7 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वित्त वर्ष 2024-25 में 0.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करता है।

2.3 घाटा

2.3.1 राजकोषीय घाटा

बजट अनुमान 2025-26 में, राजकोषीय घाटा (एफडी) सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4.4 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया था। संशोधित अनुमान चरण में, एफडी को 4.4 प्रतिशत पर बनाए रखा गया था। इस लक्ष्य की तुलना में, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अनंतिम वास्तविक ₹15.19 लाख करोड़ रुपये थे, अर्थात, सीओपीपीवाई में 4.8 प्रतिशत की तुलना में जीडीपी का 4.4 प्रतिशत।

2.3.2 राजस्व घाटा

बजट अनुमान 2025-26 में, राजस्व घाटा (आरडी) जीडीपी के 1.5 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया था। संशोधित अनुमान चरण में, राजस्व घाटा जीडीपी के 1.5 प्रतिशत होने का अनुमान था। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अनंतिम वास्तविक में आरडी ₹5.34 लाख करोड़ अर्थात सीओपीपीवाई में 1.7 प्रतिशत की तुलना में जीडीपी का 1.5 प्रतिशत दर्ज किया गया।

2.3.3 घाटे का वित्तपोषण

वित्त वर्ष 2025-26 में ₹15.19 लाख करोड़ (अनंतिम) के राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण ₹14.90 लाख करोड़ के आंतरिक ऋण, ₹26,430 करोड़ के बाह्य ऋण और ₹3,944 करोड़ की लोक लेखा प्राप्तियों को जुटाकर किया गया था। वित्त वर्ष 2025-26 में वित्तपोषण का विवरण तालिका 3 में दर्शाया गया है।

तालिका 3: राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के स्रोत

(₹ करोड़ में)

मद	2025-26 (अनं.)	2024-25	2023-24	2022-23
राजकोषीय घाटा	**15,19,169**	**15,74,430**	**16,54,643**	**17,37,755**
आंतरिक ऋण	14,89,887	13,48,341	16,94,935	16,10,883
बाह्य सहायता	26,430	47,271	55,121	37,124
लोक लेखा	3,944	1,78,210	(-)96,208	91,370
नकद शेष	-1,092	608	794	(-)1,622

स्रोतः महालेखा नियंत्रक

सरकार का प्रगतिशील आंतरिक ऋण (डब्ल्यूएमए और लघु बचत की तुलना में केंद्रीय प्रतिभूतियों को छोड़कर) वित्त वर्ष 2025-26 की शुरुआत में ₹127.65 से ₹9.43 लाख करोड़ बढ़कर वित्त वर्ष के अंत में ₹137.08 लाख करोड़ हो गया। ₹1.13 लाख करोड़ के नए बाह्य ऋणों की संविदा की गई और वर्ष के दौरान ₹65,511 करोड़ के पिछले दायित्वों का निर्वहन किया गया। वित्त वर्ष के अंत में प्रगतिशील बाह्य ऋण ₹6.79 लाख करोड़ था। इस प्रकार, वर्ष के दौरान बाह्य ऋण में ₹47,526 करोड़ की वृद्धि हुई।

2.4 देयताएं

31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार भारत सरकार का संचयी सार्वजनिक ऋण ₹183.43 लाख करोड़ था। एफआरबीएम अधिनियम के अनुसार परिभाषित केंद्र सरकार की कुल सकल देयताएं 31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार ₹201.17 लाख करोड़ थी।

2.5 नकद प्रबंधन

सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 की शुरुआत ₹2,624.40 करोड़ के नकद शेष के साथ की और ₹5,418 करोड़ के शेष के साथ वित्त वर्ष समाप्त हुआ। वित्त वर्ष 2025-26 की शुरुआत में ₹78,442 करोड़ का निवेश अधिशेष था जो वित्त वर्ष के अंत में बढ़कर ₹2.07 लाख करोड़ हो गया।

राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 की धारा 7(3)(ख) के प्रावधान के अनुसार तैयार किए गए विचलन संबंधी विवरण, जिसमें मध्यम अवधि व्यय फ्रेमवर्क (एमटीईएफ) विवरण, 2026 को प्रस्तुत न करने के कारणों की व्याख्या की गई है।

1. एफआरबीएम अधिनियम की धारा 7(3)(ख) में प्रावधान है कि -

"जहां अकल्पित परिस्थितियों के कारण, इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार पर आने वाली बाध्यताओं को पूरा करने में कोई विचलन हुआ है वहां वित्त मंत्रालय का भारसाधक मंत्री संसद के दोनों सदनों में निम्नलिखित के बारे में स्पष्टीकरण देते हुए कथन करेगा-

i. इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार पर आने वाली बाध्यताओं को पूरा करने में कोई विचलन;

ii. क्या ऐसा विचलन तात्त्विक है और वह वास्तविक या संभावित बजट परिणामों से संबंधित है; और

iii. ऐसे उपचारी उपाय जिन्हें करने का केन्द्रीय सरकार का प्रस्ताव है।"

2. एफआरबीएम अधिनियम, 2003 की धारा 3(1ख) के अनुसार, एमटीईएफ विवरण संसद सत्र के तुरंत बाद के सत्र में संसद में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है जिसमें मध्यावधि राजकोषीय नीति सह राजकोषीय नीति कार्यनीति विवरण (एमटीएफपी सह एफपीएसएस) और वृहद आर्थिक फ्रेमवर्क विवरण (एमईएफएस) प्रस्तुत किया जाता है।

3. सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते समय मध्यावधि राजकोषीय नीति सह राजकोषीय नीति रणनीति वक्तव्य के माध्यम से संसद को सूचित किया था कि वृहद आर्थिक और भू-राजनीतिक स्थिति में वैश्विक अनिश्चितता के कारण अगले दो वर्षों के लिए रोलिंग लक्ष्य प्रदान नहीं किए जा सके हैं, जो राजकोषीय नीति प्रबंधन में चिंता का विषय बना हुआ है।

4. सरकार राजकोषीय विवेक के प्रति प्रतिबद्ध है। सरकार की राजकोषीय प्रतिबद्धता एफआरबीएम अधिनियम में परिकल्पित समय-सीमा से परे भी जारी है। वित्त वर्ष 2025-26 के अंत तक सरकार

की राजकोषीय रणनीति का आधार वित्त वर्ष 2021-22 के बजट भाषण के पैरा 141 में रखा गया था। यह लक्षित किया गया था कि राजकोषीय घाटा विशिष्ट स्तर तक पहुंच जाएगा, "... 2025-26 तक इस अवधि के दौरान साधारण रूप से स्थिर ह्रास के साथ, जीडीपी के 4.5 प्रतिशत तक लाना चाहते है।" जैसा कि इस विवरण के पैरा 2.3.1 में दर्शाया गया है, इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है। इसकी उपलब्धि राजकोषीय विवेक से समझौता किए बिना विकास की प्राथमिकताओं को संतुलित करने के सरकार के रुख को दर्शाती है।

5. सरकार ने ऋण-जीडीपी लक्ष्यों को भी समायोजित करने के लिए वार्षिक लक्ष्यीकरण फ्रेमवर्क का विस्तार किया है। 2025-26 के बजट भाषण के पैरा 109 में उल्लेख किया गया है कि सरकार का प्रयास, "... राजकोषीय घाटे को प्रत्येक वर्ष इस प्रकार से रखने का प्रयास करेंगे की केंद्रीय सरकार का ऋण, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में गिरते क्रम में रहे." सरकार के लिए ऋण और जीडीपी अनुपात के लिए कार्यप्रणाली तैयार करते हुए, बजट 2025-26 के साथ प्रस्तुत एफआरबीएम विवरण ने ऋण-लक्ष्यीकरण ढांचे की ओर बढ़ने के औचित्य का संकेत दिया। राजकोषीय लक्ष्य के रूप में ऋण को (i) वैश्विक आर्थिक विचार और (ii) सरकार ऑफ-बजट उधारों के उचित प्रकटीकरण के माध्यम से राजकोषीय पारदर्शिता को बढ़ावा देने के साथ जुड़ा हुआ है। मार्च 2031 के अंत तक सकल घरेलू उत्पाद[1] के 50±1 प्रतिशत तक पहुंचने का लक्ष्य भी प्रदान किया गया था। हालांकि संख्यात्मक लक्ष्य को फरवरी 2026 में जारी आधार-वर्ष 2022-23 के साथ जीडीपी की नई श्रृंखला के साथ संरेखित करना पड़ सकता है, लेकिन घटते ऋण-से-जीडीपी अनुपात के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दृढ़ बनी हुई है।

6. एमटीईएफ विवरण अर्थव्यवस्था की विकास दर, विभिन्न करों में वृद्धि और सरकार की गैर-कर प्राप्तियों के प्रक्षेपवक्र आदि संबंधी अनुमानों के आधार पर तैयार किया जाता है। इन चरों का उपयोग सरकार की समग्र संसाधन स्थिति का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग आगामी वित्तीय वर्षों के लिए व्यय अनुमान और रोलिंग लक्ष्य निर्धारित करने के लिए किया जाता है। बजट 2026-27 प्रस्तुत किए जाने के बाद से, विश्व ने पश्चिम एशिया संकट का सामना किया, जो व्यापार व्यवधान का कारण बना हुआ है, जिससे वृहद-आर्थिक परिणाम प्रभावित हो रहे हैं।

7. सरकार राजकोषीय विवेक से समझौता किए बिना विकास प्राथमिकताओं को संतुलित करना जारी रखेगी। मध्यम अवधि में राजकोषीय नीति का मार्गदर्शन करने के लिए घटता हुआ ऋण प्रक्षेपवक्र जारी रहेगा।

*****

---

[1] *2022-23 के नए आधार-वर्ष के साथ जीडीपी श्रृंखला ने तब से पुरानी श्रृंखला (आधार वर्ष: 2011-12) को बदल दिया है, जिसके आधार पर संख्यात्मक लक्ष्य निर्धारित किए गए थे।*